प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 26 मार्च, 2018**

विषय :- उ0प्र0 के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु विजन डाक्टूमेन्ट तैयार करने के लिए निफ्टम के लम्बित देयक रू0-10.08 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-2814/निफ्टम/2017-18, दिनांक 13 मार्च, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-431/58-2-2013-17/13, दिनांक-08.08.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 18.02.2013 में प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु विजन डाक्यूमेन्ट तैयार करने का कार्य नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलाजी, इण्टरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेण्ट (निफ्टम) को सौपते हुए उनके द्वारा प्रस्तावित परामर्श शुल्क धनराशि रू0-14.40 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसमें से संस्था को प्रथम किस्त 0-4.32 लाख का भुगतान संस्था के बैंक खाते में किया जा चुका है।

3. स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 18.02.2013 द्वारा अनुमोदन के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु शासनादेश संख्या-04/2018/292/58-2-2018-300(17)/2017, दिनांक-23/02/2018 द्वारा पुर्नविनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु धनराशि रू0-15.97 लाख (रूपया पन्द्रह लाख सन्तानबे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी थी।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध धनराशि (प्रस्तर-3) में से निदेशक, उद्यान एवं खा द्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फूड टेक्नोलाजी, इण्टरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेण्ट (निफ्टम) के लम्बित देयक रू0-10.08 लाख (रूपये दस लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक ,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रकवितरण अधिकारी आहरण/ एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

.....2/-

3- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2017/बी-1-02/दस-2017-201/2017, दिनांक-02.02.2017, संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 एवं संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस- 2017-231/2017, दिनांक- 20.11.2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जारहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-47/2018/431(1)/58-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in